उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1973

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1973)[1]

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 14 दिसम्बर, 72 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 19 जनवरी, 1973 ई० की बैठक में स्वीकृत किया]

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 22 जनवरी, 1973 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 जनवरी, 1973 ई० को प्रकाशित हुआ।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1972 की धारा 1 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

"(3) यह इलाहाबाद, मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी और वाराणसी जिलों में 2 मार्च, 1972 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा, और उत्तर प्रदेश के शेष भाग में ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।"

धारा 2 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्:—

"(च) 'वर्ष' का तात्पर्य 1 जनवरी को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से है;"

धारा 5 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाय और उसे सदैव से पुनः संख्यांकित किया गया समझा जायगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं और वे सदैव से बढ़ायी समझी जायेंगी, अर्थात्—

"(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत राज्य सरकार का कोई अधिकारी, ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों पर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय,—

(क) किसी व्यक्ति को, जिसने वर्ष 1971 में अथवा उसके पूर्व तेंदू पत्ता क्रय किया हो,—

(1) उपधारा (1) के खण्ड (क) में अभिदिष्ट राज्य सरकार या अधिकारी अथवा अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति को ऐसे पत्तों की विक्री करने की अनुज्ञा दे सकता है और ऐसी सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति को उक्त पत्ता क्रय करने की अनुज्ञा दे सकता है; या

(2) ऐसे पत्तों को उत्तर प्रदेश के भीतर किसी स्थान को परिवहन करने या उत्तर प्रदेश के बाहर निर्यात करने की अनुज्ञा दे सकता है; या

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (3) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के भीतर ऐसे तेंदू पत्तों की बिक्री करने की अनुज्ञा दे सकता है जिसे वह उत्तर प्रदेश के भीतर बीड़ी बनाने के लिये प्रयोग करने में अथवा, जैसी भी दशा हो, उत्तर प्रदेश के बाहर निर्यात करने में असमर्थ रहा हो; या

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 14 दिसम्बर, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये)

(ग) किसी व्यक्ति को जिसने उत्तर प्रदेश के बाहर तेंदू पत्ता क्रय किया हो, उन्हें या तो राज्य के भीतर बीड़ी बनाने के लिये अथवा राज्य में होकर उत्तर प्रदेश के बाहर अन्यत्र ले जाने के लिये, राज्य में लाने की अनुज्ञा दे सकता है; या

(घ) किसी व्यक्ति को जिसने उत्तर प्रदेश के भीतर, किन्तु ऐसे क्षेत्र के बाहर जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो, तेंदू पत्ता क्रय किया हो, बीड़ी बनाने के लिये किसी क्षेत्र में जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो, उनका परिवहन करने की अनुज्ञा दे सकता है ।

(3) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (3) अथवा उपधारा (2) में अभिदिष्ट अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किया जाय, ऐसी फीस का देनदार होगा जो विहित की जाय ।"

धारा 7 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (1) में, शब्द "या तेंदू पत्ता उत्पादकों से" निकाल दिये जायं और सदैव से निकाले गये समझे जायेंगे ।

धारा 18 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

(1) उपधारा (1) में, शब्द "नियम बना सकती है" के स्थान पर शब्द "गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

(2) उपधारा (2) में, खण्ड (घ) में शब्द "तेंदू पत्तों के परिवहन के लिये" निकाल दिये जायं और सदैव से निकाले गये समझे जायेंगे, और अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं, अर्थात्—

"और ऐसे अनुज्ञा-पत्रों के लिये देय फीस ":

(3) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर बनाया गया कोई भी नियम ऐसे दिनांक से जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले का न हो, भूतलक्षी रूप से बनाया जा सकता है ।"

धारा 21 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 21 को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दी जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।"

बचाव

8—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, वर्ष 1971 में अथवा इसके पूर्व उगाये गये तेंदू पत्तों के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा 5 के उपबन्धों के अधीन की गयी अथवा की जाने के लिये तात्पर्यित कोई बात या किया गया अथवा किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य उतना ही विधिमान्य तथा प्रभावी समझा जायगा मानों इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 और 7 में किये गये संशोधन सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18, 1972 का निरसन

9—उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—343 जनरल (लेग०)—1973—1859+50 SS (मे०) ।

UTTAR PRADESH TENDU PATTA (VYAPAR VINIYAMAN) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1973

(U. P. Act No. 6 of 1973)

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1972

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973.

Amendment of section 1 of U. P. Act no. 19 of 1972.

2. In section 1 of the Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"(3) It shall be deemed to have come into force, in the districts of Allahabad, Mirzapur, Banda, Hamirpur, Jhansi and Varanasi on March 2, 1972, and shall come into force in the rest of Uttar Pradesh on such date as the State Government may by notification in the *Gazette*, appoint, and different dates may be appointed for different areas of Uttar Pradesh."

Amendment of section 2.

3. In section 2 of the principal Act, *for* clause (*f*) the following clause shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"(*f*) 'year' means the year beginning on the first day of January ;"

Amendment of section 5.

4. Section 5 of the principal Act shall be *re-numbered* and be deemed always to have been *re-numbered* as sub-section (1) thereof, and *after* sub-section (1) as so *re-numbered*, the following sub-sections shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

"(2) Notwithstanding anything in sub-section (1) the State Government or an officer of the State Government authorised by it in that behalf may on such terms and conditions and in such manner as may be prescribed,—

(*a*) permit any person, who had purchased *tendu* leaves in the year 1971 or earlier,—

(i) to sell such leaves to any person other than the State Government or an officer or agent referred to in clause (*a*) of sub-section (1), and permit any person other than such Government, officer or agent to purchase the said leaves ; or

(ii) to transport such leaves to any place within Uttar Pradesh or to export them outside Uttar Pradesh ; or

(*b*) permit any person referred to in sub-clause (iii) of clause (*c*) of sub-section (1) to sell within Uttar Pradesh any *tendu* leaves which he has been unable to utilise in the manufacture of *bidis* within Uttar Pradesh or, as the case may be, to export outside Uttar Pradesh ; or

---

*[For statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated the 14th December 14, 1972].

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on December 14, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on January 13, 1973.

(Received the assent of the Governor on January 22, 1973 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Psadesh Gazette Extraordinary*, dated January 22, 1973.

(*c*) permit any person, who has purchased any *tendu* leaves outside Uttar Pradesh to bring them inside the State either for manufacture of *bidis* within the State or for transporting them elsewhere outside Uttar Pradesh ; or

(*d*) permit any person, who has purchased any *tendu* leaves within Uttar Pradesh outside any area to which this Act applies to transport them to any area to which this Act applies for the manufacture of *bidis*.

(3) A person to whom a permit referred to in sub-clause (iii) of clause (*c*) of sub-section (1) or in sub-section (2) is granted shall be liable to payment of such fee as may be prescribed."

Amendment of section 7.

5. In section 7 of the principal Act, in sub-section (1), the words "from growers of *tendu* leaves" shall be *omitted* and be deemed always to have been *omitted*.

Amendment of section 18.

6. In section 18 of the principal Act—

(i) in sub-section (1), *for* the words "may make rules" the words "may by notification in the *Gazette* make rules" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted* ;

(ii) in sub-section (2), in clause (*d*), the words "for transport of *tendu* leaves" shall be *omitted* and be deemed always to have been *omitted*, and at the end, following words shall be *inserted*, namely :—

"and the fees payable for such permits ;"

(iii) *after* sub-section (3) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(4) Notwithstanding anything in sub-section (3), any rules made within one year from the commencement of this Act may be made retrospectively to a date not earlier than the commencement of this Act."

Amendment of section 21.

7. Section 21 of the principal Act, shall be *re-numbered* as sub-section (1) thereof and *after* sub-section (1) as so *re-numbered*, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act was in force at all material times."

Validation.

8. Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court, anything done or purporting to be done or any action taken or purporting to be taken under the provisions of section 5 of the principal Act, with respect to *tendu* leaves grown in the year 1971 or earlier shall be deemed to be as valid and effective as if the amendments made in sections 5 and 7 of that Act by this Act were in force at all material times.

Repeal of U. P. Ordinance no. 18 of 1972.

9. The Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1972, is hereby repealed.

PSUP—A. P. 344 Genl. (Leg).—1973. 1,877+50 ss, (M).